पत्रांक 027 सेरी0/लेखा बजट/2017-18
रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश
एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।
दिनांक::लखनऊ:: 28 अगस्त 2017

उप निदेशक(रेशम)
मु0-लखनऊ।

आहरण वितरण अधिकारी
मु0-लखनऊ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 10,00,000.00 (रूपये दस लाख मात्र) के सापेक्ष रेशम विकास विभाग के शासनादेश सं0-14/2017/178/74-2017-15(ब)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा प्रथम पाँच माह हेतु रू0 4,17,000.00 (रूपये चार लाख सत्रह हजार मात्र) की स्वीकृति जारी की गयी है। अवशेष सात माह हेतु धनराशि रू0 5,83,000.00 (रू0 पाँच लाख तिरासी हजार मात्र) की स्वीकृति रेशम विकास विभाग के शासनादेश सं0-24/2017/645/74-2-2017-15(ब)/2017 दिनांक 25 अगस्त, 2017 के द्वारा अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-06-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना के विभिन्न सुसंगत मानक इकाइयों के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति धनराशि का आंवटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है:-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उसी मद में नियमानुसार व्यय किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति प्रदान की गयी है।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार के विचलन/दुरूपयोग की स्थिति में संबंधित अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगे।
5. प्रश्नगत स्वीकृति का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष के आवश्यकताओं हेतु ही सुनिश्चित किया जाए तथा भण्डार कय नियमो का पूर्ण अनुपालन किया जाय।
6. उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग किये जाने के पश्चात यदि कोई यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को 10 मार्च, 2018 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाए।
7. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाये।

8. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान सम्बन्धित को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-payment ही किया जाये।
9. इस योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से व्यय करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना में जिस कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है यही कार्य किसी दूसरी योजना की धनराशि से न कराया जाए अर्थात अन्य योजनाओं से उसी कार्य को उसी स्थान पर डुप्लीकेसी न की जाए।
10. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में दिये गये शर्तो/नियमों के अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त आवंटित धनराशि काचालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-06-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना के नामे डाला जायेगा।

इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-25 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

28/08/17
(अनिल कुमार यादव)
निदेशक (रेशम)

पत्रांक 027 सेरी0/लेखा/ बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न संलग्नक सहित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4. उप निदेशक (रेशम), मुख्यालय-लखनऊ।
5. ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक, व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
6. कम्पूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड कर दे।

(अमितोष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

पत्रांक 027 /सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांक:: 28 अगस्त, 2017 का अनुलग्नक

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(औद्यानिक एवं रेशम विकास)

4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-06-रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवशेष सात माह हेतु स्वीकृति धनराशि का जनपदवार एवं मदवार फॉट का विवरण

(धनराशि रूपये मे)

क0 स0	आहरण वितरण अधिकारी का पद नाम	जनपद	कोषागार का नाम	मदवार धनराशि का आवंटन		पूर्व में आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
				26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	योग		
1	उप निदेशक, रेशम	रेशम निदेशालय,मु0 लखनऊ	जवाहर भवन लखनऊ	583000.00	583000.00	0.00	583000.00
	योग			583000.00	583000.00	0.00	583000.00

(रूपये पांच लाख तिरासी हजार मात्र)

(अमितोष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

तेरह अंको का कोड नम्बर

4	8	5	1	0	0	1	0	7	0	6	0	0

Budget Allot 2014-15